4-6-16 पत्रावली, राजस्व लोक अदालत शिविर अभियान पर पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी के सम्मन बाद तामील/अदम हुई। वादी एवं प्रतिवादी को तामील प्राप्त नही हुये। वादी उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर पूर्व जवाबदावा प्रस्तुत कर रखने का कथन प्रस्तुत किया। अब जवाबदावा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही है वादी ने वकील शहादत प्रस्तुत नही कर सीधी बहस करना चाहते है बहस उभय पक्ष सुनी गयी। बहस के दौरान वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की दरख्वास्त की। जबकि पैरोकार सरकार ने बहस के दौरान वाद पत्र के खण्डन में प्रस्तुत जवाबदावा के आधार पर वाद पत्र को खारीज किये जाने की दरख्वास्त की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। विवादित

[signature]

(तिवाड़ी सिंह)
भूअभिलेख अधिकारी
...

प्रकरण संख्या 192/14 रावा13

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
आराजियात ग्राम अमरगढ़ पटवार हलका अमरगढ़ तहसील मांडल मैं स्थित होकर लक्ष्मीनारायण S/o [illegible] जाति बैरागी काबिज देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत 2070 से 2073 से होती है. आराजी न 268 रकबा 1 बीघा भूमि पर वादी काबिज होकर काश्त चला आ रहा है. जिसकी ताईद प्रस्तुत धारा 91 L.R.Act के नोटिस से होती है. तथा धारा 91 के तहत पैनल्टी भी वादी द्वारा राजकोष में जमा कराई। जिसकी ताईद प्रस्तुत लगान की रसीदों से होती है. प्रस्तुत दस्तावेजों व वाद पत्र में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि वादी द्वारा आराजी न० 268 पर नाजायज कब्जा है। जिसकी ताईद प्रस्तुत धारा 91 L.R.Act के नोटिस तथा पैनल्टी की रसीदों से होती है इस प्रकार वादी को विवादित आराजी आवंटन नहीं हुई। आवंटन ही नहीं हुई तो प्राथमिकता के आधार पर न तो वह आवंटन करा सकता है और न ही नियमन। प्रतिवादी जरिये सरकार ने भी अपने जवाबदावा में कथन किया कि राज्य सरकार के विरुद्ध प्रतिकूल कब्जे को कोई मान्यता नहीं है. और न ही यह नियम राज्य पर लागू होते है. प्रतिकूल कब्जे के आधार पर राजकीय भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं इस प्रकार वादी अपने वाद पत्र को सिद्ध नहीं करा पाया। क्योंकि प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वाद पत्र की ताईद नहीं होती है.	
उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने में असफल रहने के कारण वाद पत्र खारीज किया जाना उचित समझता हूँ। अत:	
:: आदेश ::	
वादी अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने में असफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र खारीज किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करें। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो	